(3) जून, 1992 में बाजार में जारी किये गये ऋणों के परिणामों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2255/92]

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड के कर्मचारियों को निलंबित करने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के 22 फरवरी, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):—

मैं (एक) "इंडियन इंस्टिट्यूट आफ फारेन ट्रेड" के कर्मचारियों को निलंबित करने के बारे में श्री कमल चौधरी द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के 22 फरवरी, 1991 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने तथा

(दो) उत्तर में शुद्धि करने; में हुये विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 2256/92]

अध्यक्ष महोदय: अभी मैं मद संख्या 9 के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री द्वारा अगले सप्ताह की कार्यवाही के संबंध में नहीं लूंगा क्योंकि अभी और बहुत सी कार्यवाही बाकी है। इसे गैर-सरकारी सदस्यों से सम्बन्धित कार्यवाही के बाद लिया जायेगा जिसमें कुछ समय लगेगा।

अब प्रधान मंत्री महोदय अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देंगे।

2.10 म०प०

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

प्रधान मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव): अध्यक्ष महोदय, ऐसी प्रथा है कि प्रत्येक चर्चा के अन्त में उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद किया जाये, जिन्होंने इसमें भाग लिया अधिकतर इसी वाक्य के साथ, चर्चा का उत्तर देने वाला व्यक्ति अपनी बात आरम्भ करता है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): आप धन्यवाद नहीं देना चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए।

श्री पी०वी० नरसिंह राव: मैं यह नहीं कह रहा हूं। मेरी बात पूरी सुन लें।

[अनुवाद]

वर्तमान मामले में मुझे समझ नहीं आ रहा कि विपक्ष के उन सदस्यों का किन शब्दों में धन्यवाद करूं जिन्होंने इस अर्थहीन सी चर्चा में भाग लिया; जिसे कि मात्र चर्चा के लिए की गई चर्चा कहा जा सकता है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है, जिससे मैं इन्कार नहीं करता।

पिछले एक साल के दौरान हमने इस सदन में तथा दूसरे सदन में अनेक मुद्दों पर चर्चा की है। बहुत से स्पष्टीकरण दिए गये हैं तथा बहुत से प्रश्न उठाये गये और अगर मैं यह कहूं कि जो कुछ भी अब इस चर्चा

में कहा गया, वह पहले कही गई बातों की केवल पुनरावृति, केवल उसका शीर्षक बदला है, तो यह कुछ गलत नहीं होगा। इस प्रकार इस चर्चा का सही सार है।

महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष के दौरान हत्याओं, आंखें निकालने, बलात्कार तथा समाज में तनाव जैसे नकारात्मक मुद्दों के कारण हमारे देश को राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार के दुष्प्रचार का सामना नहीं करना पड़ा। जो भी समस्यायें हमारे सामने आईं, हमने तुरंत उनका हल खोजने की चेष्टा की, तथा इसीलिए सरकार ने आर्थिक कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया तथा तनाव पैदा करने वाले मुद्दों को सिर नहीं उठाने दिया और लोगों की समस्याओं और अन्य विकास सम्बंधी मामलों की ओर अधिक ध्यान दिया। मैंने बार-बार यह कहा है कि यह देश के लिए विकास, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और स्थिरता के रास्ते से हटने का समय नहीं है। यह दिखावा हमें नहीं करना है।

मैं उन दलों का आभारी हूं जिन्होंने अधिकतर हमारे दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा पिछले एक वर्ष के दौरान आम राय से कार्य करने का हमारा तरीका काफी सफल रहा। इस अविश्वास प्रस्ताव तथा इसके परिणाम के बावजूद मुझे यह विश्वास है कि यह प्रतिभा जारी रहेगी तथा यह सहयोग की भावना, और देश के समक्ष आने वाली समस्याओं के प्रति जागरूकता बनी रहेगी तथा देश का शासन चलाने का यही एक मात्र तरीका है।

महोदय, चर्चा के दौरान कुछ मंत्रियों ने भी उसमें भाग लिया, कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिये गये तथा उन मुद्दों पर इससे अधिक शायद मैं कुछ न कह पाऊं। मैं सरकार की प्रगति की दिशा और इस दिशा की ओर जाने के कारणों के बारे में मोटे तौर पर ही बताऊंगा। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक डूबने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले दो या तीन वर्षों से सारे संसार में मन्दी चल रही थी। यह तथ्य कई रिपोर्टों, अनेक तथ्यों तथा आंकड़ों तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व आर्थिक सर्वेक्षण से स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब मेरी सरकार ने शासन की बागडोर संभाली तो उस समय सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् विश्व अर्थव्यवस्था एक कठिन दौर में थी; अतएव हमें अनेक समस्यायें विरासत में मिली, खासतौर से पूर्वी यूरोप के देशों में आये बदलाव के कारण जब इन देशों में अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता थी, ऐसे समय में भारत को इन सभी देशों से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा था। इस स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारत अपनी ओर केवल ध्यान ही नहीं बल्कि काफी मात्रा में पूंजी निवेश आकर्षित करने में सफल हुआ। जो कि एक बड़ी बात है।

भारत के सम्बन्ध में विश्व आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं:

> "भारत द्वारा 1991 में आरम्भ किए गए आर्थिक सुधार लेटिन अमरिका, अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीपों में आरम्भ की गई परिवर्तन प्रक्रिया की दिशा में एक मील पत्थर है। उदारीकरण की प्रक्रिया लोगों के आर्थिक विवेक तथा सरकार को और अधिक कुशल और कम दमनकारी बनाने के प्रति जागरूकता को परिलक्षित करती है। 1980 के दशक के पूर्वार्ध में सरकार विदेशी ऋण तथा कुल वित्तीय स्थानांतरणों में कमी के कारण काफी असमंजस की स्थिति में थी। ऐतिहासिक तथा तात्कालिक अनुभव यह बताते हैं कि सारे विश्व को तथा विशेषकर भारत में वैधानिक ढांचों, मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना, वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता स्थापित करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना। न्याय तथा सामाजिक न्याय का संतुलित वितरण सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, तथा विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भविष्य की भूमिका निर्धारित करना, अपरिहार्य है।"

संक्षेप में यह उत्तरदायित्व भारत सरकार ने अपने ऊपर लिया है जबकि इसके अतिरिक्त यह अपनी सीमित

धन राशि का अधिकतम सदुपयोग करके उसे उन सभी क्षेत्रों को उपलब्ध करा रही है जहां कि निवेश आकर्षित किया जा सकता है अथवा जहां निवेश बढ़ने की संभावनायें हैं।

महोदय, मैंने पहले भी कई बार यह बात दोहराई है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हम ग्रामीण विकास के लिए योजना परिव्यय में समुचित वृद्धि करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से विश्व में अपनी साख के द्वारा योजना आयोग ग्रामीण विकास के लिए 14,000 करोड़ रुपए आवंटित कर पाया है। बेशक, अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनमें कि ग्रामीण विकास की अपनी भूमिका है तथा गांव और गांव के लोग उनसे लाभान्वित होते हैं तथा पिछली बैठक और हमारी हाल की बैठक में यह बातें सामने आईं कि 14,000 करोड़ रुपए की यह राशि पर्याप्त नहीं है, तथा लोगों की जितनी आवश्यकता हम पूरी करना चाहते हैं; उनके लिए यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमने इस राशि को 14,000 करोड़ से बढ़ा कर 30,000 करोड़ कर दिया। यद्यपि इस राशि को 14,000 से बढ़ा कर 30,000 करोड़ करना अत्यधिक बढ़ोत्तरी माना जा सकता है, परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना दर योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में बैकलॉग चलता आ रहा है, उसे देखते हुए मुझे तभी प्रसन्नता होगी, अगर आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजनार्थ 50,000 करोड़ के लगभग राशि का आवंटन हो, परन्तु ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? ऐसा किस प्रकार संभव है अगर इस राशि का एक बड़ा हिस्सा तीन, चार या पांच करोड़ रुपया तेल, दूर संचार, बिजली इत्यादि जैसे आधारभूत क्षेत्रों पर व्यय हो जाता है। इन क्षेत्रों को बजट में सहायता प्रदान कदापि अपरिहार्य है। हमारा विद्युत, तेल तथा आधारभूत क्षेत्रों से पीछे हट जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

महोदय, हम जानते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना से ही इन क्षेत्रों पर योजना परिव्यय का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता आ रहा है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। वंचित कौन रहा है? मानव संसाधन विकास का क्षेत्र सबसे अधिक वंचित रहा है। आज लोगों में निरक्षरता और लोगों के स्वास्थ्य का स्तर बहुत ही नीचा है; लेकिन, इसका कारण भी आधारभूत क्षेत्रों पर हुआ अधिक व्यय है। अगर हम यह चाहते हैं कि यह पचास हजार या चालीस हजार अथवा ऐसी कोई राशि मानव संसाधन, ग्रामीण विकास में लगे जहां इसकी आवश्यकता है, तो इसका एकमात्र उपाय आधारभूत क्षेत्रों में निवेश की पद्धति में परिवर्तन लाना है, और ऐसा करने में हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। हमने विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक विशेष दल भी भेजा है। यह खुशी की बात है कि इस दल ने अपनी प्रथम यात्रा के दौरान कुछ बिजली परियोजनाओं की उचित रूप से समीक्षा कर ली है और इस सम्बन्ध में कुछ समझौते भी किए गये हैं। कागजी कार्यवाही चल रही है। इसकी स्वीकृति इत्यादि में कुछ समय लग सकता है। परन्तु उन्होंने 15,000 करोड़ का आंकड़ा दिया है, जो कि मेरे विचारानुसार 30,000 करोड़ अथवा 35,000 करोड़ की राशि जारी की जायेगी। अगर ऐसा हो जाता है, तो इस राशि को ग्रामीण क्षेत्र में व्यय किया जा सकता है जहां कि इसके द्वारा लोगों के वंचित वर्ग की सहायता की जा सकती है। परन्तु, देश को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि, बिल्कुल निचले स्तर से प्रगति के पथ पर लाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। मुझे इसका कोई अन्य विकल्प नज़र नहीं आता। हमने ऐसा ही करने का निर्णय लिया है, तथा ऐसा करने के लिए किसी बड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है तथा धीरे-धीरे चलने की प्राचीन नीति से उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें यह 30,000 अथवा 40,000 करोड़ की राशि बिचौलियों को बीच में लिए बिना, सीधे निचले स्तर तक उपलब्ध करवानी है। केवल इसी तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है।

इसलिये इसमें दोनों बातों का ध्यान रखा गया है।

हमने जो उदारीकरण कार्यक्रम शुरू किया है, यह वैसा कार्यक्रम नहीं है जोकि अन्य बहुत से देशों द्वारा शुरू किया गया था। इसकी अपनी ही विशेषता है। इसमें उन क्षेत्रों को अपनाया गया है जिनके उदारीकरण से लाभ

होगा। इसमें ऐसे क्षेत्र भी शामिल है जिनमें उदारीकरण के परिणामस्वरूप हानि भी हो सकती है चूंकि वे केवल एक ही दिशा में अपना ध्यान लगाये हुए हैं। इस समय हमारे जो गांव हैं, वहां पर जो निरक्षरता है अथवा शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव है, गांवों में लड़के और लड़कियों मे कला-कौशल का अभाव है, यदि इन बातों की तुलना उनके उन साथियों, बहनों और भाइयों से की जाये, जोकि शहरों में रहते हैं जहां कि बेहतर शैक्षणिक सुविधायें हैं, तो ये बातें उन्हें काफी पीछे ले जायेंगी। इस प्रकार यदि केवल शहरों के विकास पर उद्योगों के विकास पर ही धन खर्च किया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि जो लोग शहरों के इर्द-गिर्द रहते हैं, केवल उन्हें ही बेहतर सुविधायें मिल सकेंगी जबकि ग्रामीण क्षेत्र पीछे रह जाएंगे।

इसलिये, हमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक व्यापक कार्यक्रम शुरू करना है जिससे ग्रामीण लोगों, चाहे वे व्यस्क हों अथवा बच्चे हों, लड़के हों अथवा लड़कियां हों, उनकी योग्यताओं का इस ढंग से विकास हो सके ताकि उन्हें शहरों की ओर न भागना पड़े और गांवों में ही उन्हें वैसा ही लाभकारी रोजगार मिल सके जैसा वे करना चाहते हैं। 30,000 करोड़ रुपये का कार्य दिवसों के हिसाब से क्या अर्थ निकलेगा? इसका काफी व्यापक अर्थ निकलेगा। 30,000 करोड़ रुपये का कार्य दिवसों के हिसाब से काफी महत्व है। लेकिन हम केवल कार्य दिवसों का ही हिसाब नहीं लगा रहे हैं। हम गांवों में भी आधारभूत सुविधा प्रदान करना चाहते हैं। हम गांवों में भी सभी सुविधायें प्रदान करना चाहते हैं। इसलिये यह 30,000 करोड़ रुपये की धनराशि और यदि संभव हुआ तो इससे भी अधिक धनराशि सुनियोजित ढंग से खर्च करनी होगी, कुछ इस किस्म की योजना बनाकर खर्च करना होगा जिससे ग्रामीण आबादी की वास्तविक रूप से प्रगति संभव हो सके, जिससे ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच का अन्तर कम हो सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं, यह भी उनमें से ही महत्वपूर्ण कार्य है। केवल इन पांच वर्षों में तो हम इसमें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर पायेंगे क्योंकि अंतर बहुत अधिक है। लेकिन हम कुछ सफलता तो अवश्य ही प्राप्त कर पायेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है। हम इस दिशा में कदम भी उठा चुके हैं। जवाहर रोजगार योजना जैसी कुछ योजनाओं की देश में उन स्थानों पर तो व्यापक भर्त्सना की गई है जहां इन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन इसके साथ-साथ देश के उन भागों में इनकी सराहना की गई है जहां पर इन्हें सफलता मिली है। हमारे पास जवाहर रोजगार योजना के कार्यकरण के बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें योजना की कुछ महत्वपूर्ण त्रुटियों के बारे में बताया गया है, क्योंकि योजना में यह कहा गया है कि यह तो लोगों को केवल कुछ दिन के लिये ही रोजगार दे सकती है, ज्यादा दिनों के लिये नहीं क्योंकि सीमित धनराशि दी जाती रही और इसके अन्तर्गत अपनाये गये तौर तरीके भी कुछ इस ढंग के थे जिनसे जिन व्यक्तियों को वास्तव में इसका सही लाभ मिलना चाहिये था, उनको नहीं मिल सका। जवाहर रोजगार योजना को फिर से पहली बार 1,711 ऐसे खंडों से जोड़ा जा रहा है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नया रूप देने के लिए चुना गया है। योजना को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। अन्य शब्दों में, इन क्षेत्रों में लोगों से जो भी काम लिया जाएगा, उसके बदले में जो मजदूरी दी जाएगी, इसका कुछ हिस्सा वस्तु रूप में, अनाज के रूप में दिया जाएगा। इससे यह बात वास्तविक रूप से सुनिश्चित होती है कि लोगों को सही प्रयोजनों के लिये राशि मिल सकेगी और बिचौलियों द्वारा राशि हड़प नहीं की जाएगी। इस प्रकार, इस प्रकार की व्यवस्था से जवाहर रोजगार योजना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों में ही सुधार हो सकेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहली बार गांवों तक पहुंच रही है और इस बात को देखने के लिये सशक्त प्रयास किया जा रहा है कि यह प्रणाली गांवों तक पहुंच सके और गांवों में पहुंचने के बाद उन लोगों तक पहुंच सके जो योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मैंने स्वयं कई स्थानों पर जाकर देखा है, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में एक-एक ऐसे स्थान पर जाकर देखा है जिनके यहां से रिपोर्ट मिली थी कि यह योजना संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है। मैं

वहां गया। लोगों से बातचीत की। मात्र आलोचना करना कि इतने वर्षों से क्या हो रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। यदि कोई गल्तियां हो रही हैं, तो हमें उन्हें ठीक करना है। इस प्रकार मैंने यह देखा है कि कम से कम सरकारी स्तर पर तो इन्हें एक साथ जोड़ने के बारे में सशक्त प्रयास हो रहा है हम इस पर निगरानी रखेंगे। हम निगरानी रख भी रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें पूर्ण संतोष नहीं है। इस कड़ी को सुधारने और ग्रामीण लोगो की सेवा करते रहने का केवल यही एक तरीका है।

निवेश के संबंध में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, स्थिति में कुल मिला कर सुधार ही हो रहा है। विगत पांच वर्षों में औसतन 100 मीलियन डालर इक्विटी निवेश की तुलना में, केवल इसी वर्ष में ही 900 मीलियन डालर से अधिक राशि की विदेशी इक्विटी के आंकड़े हैं। यह उससे नौ-गुणा, लगभग दस गुणा अधिक है। मैं सोचता हूं कि इसमें अच्छी प्रगति हुई है, आगामी वर्षों में इसमें और भी अधिक प्रगति हो सकेगी।

पूंजी निवेश करने वाले देशों की संख्या काफी अधिक है और इसमें लगभग सभी प्रमुख पूंजी निर्यातक देश शामिल हैं। जर्मनी की मेरी प्रथम यात्रा से मुझे इस बात की तसल्ली हो गयी कि हम इन देशों से कोई भी चीज ले सकते हैं, परन्तु हम उन्हें यह तसल्ली नहीं दे सके हैं कि उनकी धनराशि अथवा उनका निवेश सुरक्षित रहेगा। अभी भी मेरे मन में कुछ प्रश्न बाकी रह गये थे और फिर जैसे ही मैंने एक के बाद दूसरे देश, देश-विदेश की यात्रा की, जर्मनी गया जोकि मेरी प्रथम यात्रा थी और जापान गया जोकि हाल ही की यात्रा रही है, तो मैं बिना किसी विरोध के डर के यह कह सकता हूं कि भारत में निवेश किये जाने के संबंध में मेरा विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ा है। मुझे पूरा यकीन है कि अब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इन देशों द्वारा निवेश के संबंध में जो निर्णय लिये जाते हैं, वे उनकी अपनी सीमाओं के अंदर ही होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे असीमित निवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि उनके हालातों की भी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं।

जापान के बारे में हमें पता चला कि उनकी अपनी ही सीमाएं हैं। यात्रा के दौरान और यात्रा से पहले भी हमें सचेत कर दिया गया था कि जापान की अर्थव्यवस्था की अपनी ही सीमाएं हैं जिससे जापान की तत्काल निवेश किये जाने की संभावना अथवा क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। अब मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सीमाओं के बावजूद भी हमें जापान से काफी आशाजनक परिणाम मिले। बजाए इसके कि हम लोगों को निवेश करने के लिये बुलाते, हमें इस बात की सुखद हैरानी हुई कि उन्होंने मुझे बुलाया और भारत में निवेश करने के लिये कहा। इस प्रकार मुझे इस यात्रा से काफी सुखद एहसास हुआ है और मैं आशा करता हूं कि इस पर अनुवर्ती-कार्रवाई के रूप में तमाम कदम उठाये जाएंगे।

जसवंत सिंह जी ने कोका-कोला के बारे में कुछ बात कही है। मैं उन्हें सूचित कर देता हूं कि कुल मिलाकर विदेशी निवेश प्रस्तावों में 80 प्रतिशत से अधिक प्रस्ताव औद्योगिक नीति के अन्तर्गत शामिल किये गये उच्च वरीयता उद्योगों की जानी पहचानी सूची के संबंध में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शेष 20 प्रतिशत के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे सादर निवेदन करुंगा कि मैं भी इस बात से सहमत हूं कि 20 प्रतिशत उद्योगों वाली सूची भी है। मैं 80 को 100 नहीं बता सकता।

अतः, 80 प्रतिशत और भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें विदेशी निवेश आश्वासन और निवेश की संभावनाएं हैं और कुछ हद तक उन क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृतियां दी जा सकती हैं। (व्यवधान)

सरकार ने हाइड्रोकार्बन, दूरसंचार और विद्युत जैसे महत्वपूर्ण मूलभूत क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। महोदय, विद्युत के संबंध में 21 बड़ी विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में भारतीय और विदेशी कम्पनियों दोनों ही से बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। शायद जसवन्त सिंह जी ने इन्हीं कम्पनियों और इन्हीं परियोजनाओं के बारे में जिक्र किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन सभी

परियोजनाओं पर द्रुतगति से कार्रवाई की जा रही है। यह ऐसी परियोजनाएं नहीं है, जिन्हें बड़ी आसानी से अथवा जल्दबाजी में स्वीकृत किया जा सके। निर्णय लिये जाने हैं और तकनीकी तथा अन्य ब्यौरे तैयार करने हैं एवं इनमें औसतन एक अथवा डेढ़ वर्ष का समय लग जायेगा। अगर इनमें कुछ समय लग रहा है, तो हमें निराश अथवा हैरान नहीं होना चाहिये। लेकिन, मुझे पक्का विश्वास है कि ऊर्जा मंत्रालय को कहे जाने के बाद सभी परियोजनाएं मंजूर की जाने वाली हैं।

दूरसंचार में अत्याधुनिक दूरसंचार उपस्करों के निर्माण हेतु अग्रणी दूरसंचार कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों की हमने मंजूरी दे दी है। देश में दूरसंचार स्वीचिंग उपस्करों के उत्पादन की क्षमता दो गुणी होने की उम्मीद है। मूल्य-संवर्द्धित सेवाओं के क्षेत्र में कारगरता बढ़ाने और दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

देश के पूर्वी और पश्चिमी तट पर दो तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव को भी पहले ही स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन तेल शोधक कारखानों की पूर्ण विदेशी मुद्रा लागत नीति निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा वहन की जायेगी, जोकि अन्यथा तेल और प्राकृतिक गैस आयोग - दूसरे शब्दों में सरकार द्वारा - वहन की जाती थी। अब, इन कुछ बचतों को हम उन क्षेत्रों में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे स्वतंत्र निवेश, यानि सरकारी व्यय से मुक्त निवेश प्राप्त हो रहा है और इससे सरकार जितनी भी धनराशि बचा पाई, जैसाकि मैंने अभी कहा है। मानव संसाधन विकास जैसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जायेगा।

स्थानीय निवेश के बारे में, देश ही के भीतर निवेश - (व्यवधान)

महोदय, आंतरिक निवेश में स्थिति इतनी ही उत्साहजनक है और इस वर्ष में, हमने 6000 से अधिक निवेश-निर्णय लिये हैं जबकि पिछले वर्ष इससे आधे निर्णय लिए गए थे। अतः, स्थानीय निवेश और देश के भीतर ही निवेश की स्थिति भी काफी अच्छी है। यह हमारी आर्थिक-तस्वीर है। मुझे पक्का विश्वास है कि वित्त मंत्री महोदय ने कल ही सभी ब्यौरों पर विचार कर लिया है। मैं तो केवल यही दर्शाने के लिए यह भी कहना चाहता था कि ये निवेश व्यर्थ-निवेश नहीं हैं, ये निवेश हमें विदेशों अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त हो रहे निवेशों से प्रभावित होने के कारण ही नहीं कर रहे हैं। हमें उनकी नितान्त जरूरत है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा अपना पैसा उन उद्देश्यों के लिए दिया जाये जिनमें विदेशों से कोई निवेश आकृष्ट नहीं होगा। कोई भी देश भारत में स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, टीकाकरण कार्यक्रमों को चलाने वाला नहीं है। इन कार्यक्रमों के लिए पैसे की मांग का शोरगुल होता रहा है और हम वह पैसा देने में सफल नहीं हुए हैं। आशा है कि अन्य क्षेत्रों को भारी निवेश से मुक्त रखकर यह न केवल सम्भव ही होगा, बल्कि मैं समझता हूं कि निश्चय ही हम इन क्षेत्रों में पहले से अधिक ध्यान देने में सक्षम हो जायेंगे।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है, वह ब्लाक, जिनके बारे में जिक्र किया जाता है, अतिरिक्त मात्रा में खाद्यानों का आवंटन प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं कारणों से जैसा कि श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा है इनके भण्डारण में कमी, भण्डार में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं, हमने इन क्षेत्रों में अत्यधिक आवंटन और उच्च आवंटन किये हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वर्ष की सम्भावनाओं को देखने की जरूरत है। लेकिन, जो भी हो, हम इन ब्लाकस के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खाद्यान आवंटन पर अडिग रहना चाहेंगे और इन्हें कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

अब मैं महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर आता हूं जिन पर सम्भवतः सदस्यों की यदाकदा की गई टिप्पणी इस बात की द्योतक है कि वे इसको ज्यादा महत्व देते हैं। असम के बारे में कोई भी यह नहीं कह सकता कि अब असम की स्थिति दो वर्ष पहले अथवा डेढ़ वर्ष पूर्व से बेहतर नहीं है। 'उल्फा' ने कुछ निर्णय लिये हैं। जो सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, उस वर्ग से एक दल आया है और मुझसे मिला है। हमने चर्चा शुरू कर दी है। कुछ

शस्त्र समर्पित किये गये हैं। एक दूसरा वर्ग इसके विरुद्ध है। उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में हमारे लिए कई वर्षों से चले आ रहे उस पेचीदा-प्रश्न का समाधान करने के लिए समूचे 'उल्फा' दल से अर्थपूर्ण बातचीत करना संभव हो जायेगा।

असम-समझौते के उपबंधों को लागू करने की दिशा में व्यापक प्रगति हासिल की गई है। असम समझौते के उपबंधों के अनुरूप और अन्यथा असम के आर्थिक-विकास पर लगातार अत्यधिक ध्यान दिया गया है। समझौते के अनुरूप नुमलीगढ़ में एक तेल शोधक कारखाना और गुवाहटी के निकट एक आई० आई० टी० स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में जब मैं असम गया था, तो मैंने इन संस्थानों की आधार-शिला रखी थी। मैंने एक बड़ी रेल लाईन को जिसे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है और जिसकी वजह से लोगों में अत्यधिक खुशी है, की भी आधारशिला रखी थी। मुझे लोगों से बातचीत करने का भी मौका मिला है और मैंने देखा है कि इन परियोजनाओं के आने से वे कितना प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। यह असम के बारे में स्थिति है।

कश्मीर के बारे में जसवन्त सिंह जी ने इस ओर ध्यान दिलाया है कि विभिन्न लोगों और विभिन्न मंत्रालयों द्वारा परस्पर विरोधी बयान अथवा अलग-अलग वक्तव्य दिये जा रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि अपने संवाददाता सम्मेलन में, मैंने समूचे मामले को यह कहते हुए समेट दिया था कि हम चाहते हैं कि कश्मीर में सामान्य स्थिति पुनः बहाल हो। मैं कहूंगा कि सामान्य स्थिति तभी बहाल होगी, जब वहां एक लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही हो। अब यह वह स्थिति है, कि पहले अंडा था अथवा मुर्गी। चुनाव कराने के लिए हम वहां सामान्य स्थिति बहाल करना चाहते हैं। लेकिन, चुनाव हुए बिना वहां वास्तविक सामान्य स्थिति बहाल नहीं होगी। अतः, हमें इसे बड़े ध्यानपूर्वक हल करना है। पिछले एक साल की तुलना में, हम शांति की कुछ परिस्थितियां वहां पैदा करने में सफल हुए हैं। हम यह कहने की स्थिति में हैं कि कश्मीर में निकट भविष्य में चुनाव कराने हेतु परिस्थितियां पैदा करनी होंगी। कुछ आलोचकों से मुझे एक शिकायत यह मिली है कि कश्मीर में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। हम निष्पक्ष चुनाव करायेंगे; हमने हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराये हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं और हम चुनाव करायेंगे। (**व्यवधान**)। मुझे विदित नहीं है कि शोरगुल किस लिए हो रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): यह शोरगुल पंजाब के बारे में हो रहा है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। मैं पंजाब को भी लूंगा। आपको यह अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं पंजाब को छोड़ दूंगा।

अतः, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए हैं। लेकिन, मैंने कहा है कि जैसे ही स्थिति चुनावों के अनुकूल होगी, चुनाव होंगे। मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री ने जो कहा है, मैंने जो कहा है अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने जो कहा है, उसमें कोई परस्पर-विरोध है। सत्य तो यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कल ही चुनाव करा दूं, तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन, वहां चुनाव होने ही हैं और हमें चुनावों के अनुकूल वातावरण तैयार करना है। यह संपूर्ण तस्वीर है और समग्र रूप से मैं नहीं समझता कि इस अवस्था में कोई आंतरिक विरोधाभास है।

महोदय, पंजाब के बारे में, जब लोग वहां चुनावों की बात सुगमतापूर्वक कह देते हैं, तो मुझे वास्तव में बड़ी हैरानी होती है। ऐसा क्यों है? मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम चुनाव करवायेंगे, तो हम यह भी चाहेंगे कि पंजाब में एक राज्य-सरकार स्थापित होनी चाहिए। मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि मैं वहां एक राज्य-सरकार चाहता हूं क्योंकि पंजाब के प्रश्नों का समाधान करने के लिए मैं हर समय राज्यपाल से बातचीत नहीं कर सकता। मैं वहां एक राज्य सरकार चाहता हूं। कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते, मैं वहां कांग्रेस सरकार

की स्थापना के लिए कह सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा क्योंकि मैं समझता था कि पंजाब की स्थिति के संबंध में शायद हमें दलों के शब्दों में बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां एक राज्य सरकार चाहता हूं। मैंने दूरदर्शन पर भी यह कहा है। उसके बावजूद भी, कुछ दलों ने चुनावों में भाग न लेने का फैसला किया है। यह मेरी गलती नहीं है। लेकिन, किसी भी तरीके से अगर वे चुनाव में भाग लेते, तो मुझे खुशी होती। मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक हुआ होता और उसके परिणामस्वरूप जो भी सरकार वहां आती, हम उस राज्य सरकार से उतने ही कारगर तरीके से व्यवहार करते और वह एक बेहतर स्थिति होती। लेकिन, अगर चुनाव हुए हैं और एक दल वहां सत्ता में आया है, हमें उस सरकार से बर्ताव करना है और मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब सरकार पंजाब के अधिकारों के बारे में ज्यादा सजग है। पंजाब में जो कुछ किया जाना है, उसके बारे में वास्तव में वे केवल कांग्रेस के ही रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं; ऐसा नहीं है।

बेअंत सिंह जी मेरे पास कुछ ऐसे सुझाव लेकर आते हैं, जोकि अपने आप में अत्यन्त कठिन हैं। फिर भी हम उनकी जांच-पड़ताल कर रहे हैं। हम उन्हें अस्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि जब यह सुझाव एक राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं, तो हमें उनके प्रस्तावों के इतिहास, पृष्ठभूमि, संभाव्यता आदि को देखना होता है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसा किया जा रहा है। मैं एक मुश्त-कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक मुश्त-कार्यक्रम राजीव-लोंगोवाल समझौता है। अब जो भी चर्चा की जा रही है, उस समझौते के अंतर्गत ही की जा रही है। अतः मैं उससे अलग कोई एकमुश्त-कार्यक्रम नहीं बनाना चाहता। एक मुश्त कार्यक्रम पहले ही विद्यमान है। यह मैंने अनेक बार स्पष्ट किया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसको लागू करने के बारे में क्या हुआ?

श्री पी०वी० नरसिंह राव: मैं भी यहीं कह रहा हूं कि इस समझौते के किसी एक भाग को लागू करना आसान नहीं है। समझौते को पूरी तरह से लागू किया जाना है और इसी बात से हम फिलहाल जूझ रहे हैं। अभी ब्यौरे दे पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे क्षमा करें, क्योंकि यदि एक बार मैं कुछ कह दूं तो वह वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और यदि आप चाहें तो यह सार्वजनिक वाद-विवाद का विषय बन जाएगा और फिर अगला कदम लेना असंभव हो जाता है। मैं सदन को केवल आश्वस्त कर सकता हूं कि हम चर्चाओं का पूरे मनोयोग से पालन कर रहे हैं, चर्चाएं जारी हैं और इसमें सम्मिलित सभी प्रश्नों की जांच हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर इतने अधिक प्रयास करने पर परिणाम संतोषजनक होने चाहिएं। यह मुझे आशा है और ऐसा मेरा विश्वास है।

आतंकवादियों और तस्करों की गतिविधियां रोकने के लिए पंजाब क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था करने और बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है, यह सदन में उठने वाला एक महत्वपूर्ण मामला है। अब हमें सीमा के अन्य क्षेत्र में काम करना है। मुझे इस बात की ठीक-ठीक जानकारी नहीं है कि इस पर क्या किया जा रहा है। परन्तु मुझे विश्वास है कि पंजाब के बाद हम दूसरे क्षेत्र में सीमा पर कार्य करेंगे। जब तक पूरी सीमा पर पूरे प्रकाश की व्यवस्था नहीं कर दी जाती है, तब तक सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को कारगर ढंग से रोक पाना संभव नहीं होगा। पंजाब में मौजूदा स्थिति ऐसी है।

विदेश मामलों के संबंध में मुझे वास्तव में मालूम नहीं है कि कोई भी बात बहुत गंभीरता से कही गई है। परन्तु, मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा कि हमारी विदेश नीति में कोई नकारात्मक मोड़ नहीं आया है। वास्तव में हमें अपनी नीति पर गर्व है ऐसी नीति बहुत कम देशों की है। जिन देशों में विभिन्न प्रणालियां दशकों से मौजूद थीं, उन्होंने क्या रुप ग्रहण किया, उन्होंने कितना परिवर्तन किया, और जो हमने किया है कृपया उसकी उनसे तुलना कीजिए। क्योंकि परिवर्तन एक देश में ही नहीं हुआ बल्कि, पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है? मुझे अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है। हमारा देश अभी गुटनिरपेक्ष देश है जैसा

कि यह हमेशा से था। हम गुटनिर्पेक्षता की नीति पर निरन्तर चलते रहेंगे चाहे दो गुट बनें, तीन गुट बनें या केवल एक ही गुट रहे। क्योंकि मैं गुट-निरपेक्षवाद को अपने अधिकारों और भावनाओं के अनुसार निर्णय लेने के अपने अधिकार के बराबर मानता हूं और उस निर्णय पर कायम रहता हूं। मैं वही कर रहा हूं। मैं आज तक उससे नहीं हटा हूं। जिस किसी ने भी मुझ से कुछ नीति निर्णयों आदि में परिवर्तन करवाना चाहा, मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि यह संभव नहीं है। पहली बात यह है कि थोड़ा बहुत दबाव रहा है। आपने दबाव को बर्दाश्त किया और फिर कहा कि हां ठीक है हमने आपकी स्थिति समझ ली है।" इसीलिए अब यह इस तरह समाप्त हुआ है। मुझे इस बारे में खुशी है। जब हमने परिवर्तन चाहा, हमने परिवर्तन किया है। हमने दूसरों के आदेशों से परिवर्तन नहीं किए हैं। यह हमारी नीति है और यह जारी रहेगी और हम गुटनिर्पेक्ष हैं। वास्तव में गुटनिर्पेक्ष आंदोलन को अपने लिए स्वयं एक नया और प्रासंगिक तरीका ढूंढना होगा। यह प्रयोग बेलग्रेड में शुरु किया गया था, दुर्भाग्य से युगोस्लाविया की आन्तरिक स्थिति के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन और गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की गतिविधियां अधिक आगे नहीं बढ़ सकीं। मैंने इसके भावी अध्यक्ष, इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति से बातचीत की है। हमारी मुलाकात रियो-दि जेनेरियों में हुई और हमने काफी देर तक चर्चा की कि क्या किया जाना है। उनके विदेश मंत्री जो कि नए दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, यहां आये। हम दस्तावेज तैयार करने में पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम हमेशा की तरह अध्यक्ष की सहायता कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम गुटनिर्पेक्ष आन्दोलन की नई भूमिका की रुप रेखा प्रस्तुत कर पाएंगे, जो बेलग्रेड में हुआ उसका अनुसरन कर पाने में समर्थ हो पाएंगे और मैं समझता हूं कि हम इसको अंतिम रूप दे सकेंगे क्योंकि बेलग्रेड और जकार्ता सम्मेलन के बीच की अवधि के दौरान विश्व में बहुत कुछ घटित हो चुका है।

भूतपूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाने के बाद हमने अतिशीघ्र कूटनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। हमने ऐसा करने में थोड़ा भी समय नष्ट नहीं किया क्योंकि यदि हम एक देश सोवियत संघ से संबंध स्थापित कर रहे थे। वास्तव में यह एक क्षेत्र में सीमित सोवियत संघ नहीं था। हम ऐसे देश से संबंध स्थापित कर रहे थे जिसके हमारे साथ आर्थिक और अन्य संबंध थे और जो 15 राज्यों में विभक्त हो गया। कुछ वस्तुएं जो हम चाहते हैं, वह यूक्रेन से आता था, कुछ वस्तुएं जिनका हम व्यापार कर रहे थे, वह कजाकिस्तान से आती थीं, हमारी जरूरत की कुछ वस्तुएं कुछ अन्य राज्यों से आ रही थीं। परन्तु हम केवल सोवियत संघ के साथ ही व्यवहार कर रहे थे। आज हमें उन सभी क्षेत्रों से व्यवहार करना पड़ता है, जिनसे हमें आज भी ये वस्तुएं प्राप्त करनी हैं, और मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि कम से कम संभव समय के भीतर, कम विलम्ब, कम से कम संभव विलंब में हम संबंध स्थापित करने में समर्थ हो सके हैं केवल कूटनीतिक संबंध ही नहीं बल्कि, द्विपक्षीय प्रकृति के संबंध स्थापित करने में भी हम समर्थ हुए हैं, जो कि विघटन के समय चल रहे थे। दूसरी ओर इसमें कुछ समय लगा है, दूसरे उन्हें भी दशानुकूलन के लिए कुछ समय की आवश्यकता है, स्वयं को नई स्थिति की जानकारी हासिल करने के लिए समय चाहिए।

अतः यदि हम तत्काल कदम नहीं उठाते, तो तब जो स्थिति होती, उस स्थिति से हम बेहतर स्थिति में हैं। अब इन सभी नए गणराज्यों में से चार या पांच गणराज्यों के राष्ट्रपति भारत की यात्रा कर चुके हैं। उनमें से प्रत्येक ने मुझ से कहा है कि उनका देश, उनकी सरकार धर्मनिर्पेक्षवाद का समर्थन करती है, उनका देश और उनकी सरकारें कट्टरवाद की विरोधी हैं। नई परिस्थितियों में इन देशों में अब जिस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है, वह हम सब लोगों को अच्छी तरह मालूम है। अतः उन्हें भारत के साथ स्थिति की तुलना करनी है और यह इसका अति महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा है कि वह भारत के साथ इन मामलों पर निरन्तररुप से चर्चा करना चाहेंगे क्योंकि वहां पर नई स्थिति उभर कर सामने आई है जबकि, वह पूर्ण

रूप से धर्मनिरपेक्ष होना चाहते हैं जैसा कि वह हमेशा से थे, बदली हुई परिस्थितियों में वह ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन पा रहे हैं। अतः उनके और हमारे बीच बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हम उनके साथ वार्ता जारी रखे हुए हैं। कुछ संस्थागत ढांचा बनाने के लिए हम इसे जारी रखेंगे जिससे विचारों का यह आदान-प्रदान और अनुभव कुछ आसान बन जाएं।

संयुक्त नौसेना अभ्यासों के बारे में मैं यह कहूंगा कि यह बात कई बार उठ चुकी है। हमने उतने अभ्यास नहीं किए, जितनी बार उन पर वाद-विवाद किया है। मैं समझता हूं कि ये अभ्यास हमारे लिए फायदेमंद रहे हैं। हमने अनेक देशों के साथ अभ्यास किए हैं। मैं नहीं समझता हूं कि इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अभ्यास क्यों किया। यदि यह हमारी नौसेना के लिए उपयोगी रहा है, तो मैं समझता हूं कि यह अभ्यास करना हमारे लिए अच्छा रहा है। बेशक यहां पर ऐसे सदस्य हैं, जो इससे सहमत नहीं होंगे। मेरे पास उन्हें सहमत करने के लिए कुछ नहीं है। अतः हम इस बात को यहीं पर छोड़ते हैं।

हमारे पड़ोसियों के बारे में मैं भी यह महसूस करता हूं कि पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है। पाकिस्तान के साथ भी हमारी समस्याएं हैं। श्री जसवन्त सिंह ने जानना चाहा कि कई बार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मिलने के बाद उसका नतीजा क्या रहा है। नतीजे को मापना बहुत कठिन है। हम पड़ोसी हैं और रहेंगे, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। कुछ अपकरण और दुष्करण होंगे। सीमा पार से क्या किया जा रहा है, वह हम सबको मालूम है। जब कभी हम मिले, हमने इस विषय से अपनी बातचीत शुरू की। हमने उन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह इस गतिविधि को बंद कर दे। किसी समय तो हमसे कहा गया कि उन्होंने इन्हें पहले ही बंद कर दिया है। किसी समय हम से कहा गया कि उन्होंने ऐसा काम कभी भी शुरू नहीं किया, किसी समय हमसे कहा गया कि "हम इसे रोकेंगे", सभी तरह के अलग-अलग संकेत मिले। परन्तु किसी भी हालत में हमें उनसे वार्ता जारी रखनी होगी, हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम विरोध कर सकते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति हम अपनी असहमति का संकेत दे सकते हैं। यह सब वैध है। इस सबकी अनुमति है। यह सब किया जाना चाहिए, लेकिन, आज केवल हम ही नहीं बल्कि, कई अन्य देश भी इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित राज्य आतंकवाद वास्तव में सत्य है।

[हिन्दी]

कई माननीय सदस्य: हम सुन रहे हैं, लेकिन शंकरानन्द जी सुन नहीं रहे हैं, सो रहे हैं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: आप जैसे श्रोता मुझे कहां मिलेंगे, उनको तो मैं कभी भी सुना सकता हूं।

[अनुवाद]

महोदय, कम से कम आज पाकिस्तान को या उसके प्रधान मंत्री को यह कह पाना संभव नहीं होगा कि...

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़): यह सरकार नहीं जाएगी, आप जरा जोर से बोलिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: सरकार कहां जाएगी, आप लोग ही इस सरकार को खड़ा रखेंगे,

[अनुवाद]

अतः जब कभी भी हम मिले हमें तुलना करनी होगी और हमें समझना भी होगा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में श्री चन्द्रशेखर को यह बात समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक प्रधान मंत्री की अपनी ही देश के अन्दर कुछ सीमाएं होती हैं। हम इन सीमाओं के बारे में कोई भाषण नहीं देते हैं। हम यह बात समझते हैं। एक बार इन सीमाओं को समझने के बाद हम वार्ता की क्षरगरता

की सीमाओं को भी समझ सकते हैं या उन के साथ हमने जो वार्ता की है, उनके निष्कर्ष की प्रकृति को भी समझ सकते हैं।

अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चूंकि मैं उनसे पुनः मिलने वाला हूं— मैं पहले भी कई बार मिल चुका हूं और एक बार फिर मिलूंगा— मैं कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इस प्रयास को जारी रहना होगा। हमने सचिव स्तर की जिस वार्ता को स्थगित कर दिया था उसे राजनयिक माध्यमों द्वारा तिथि निश्चित करने के पश्चात् पुनः आरम्भ कर दिया जायेगा और हम इसे जारी रखेंगे। अन्ततः, महोदय, मेरा विचार है कि हमें पाकिस्तान के साथ मित्रता, सहन शक्ति, दृढ़ता से व्यवहार करना है। इस प्रकार के समायोजन को तैयार करना हमेशा सरल नहीं होता, किन्तु फिर भी हमें ऐसे ही समायोजन के बारे में सोचना है जिसकी आगे आवश्यकता पड़ेगी। और मैं सदन के समक्ष यही निवेदन करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य: इज़राइल के बारे में बोल दीजिये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव: क्या कहना है, इज़राइल हो गया है।

[अनुवाद]

मेरे विचार में मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है। इज़राइल के बारे में, इज़राइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना की जा चुकी है जिसके फलस्वरूप अब हम मध्य पूर्व देशों के काफी सम्पर्क में आ गए हैं। मेरी इस बात में कोई अंतर्विरोध नहीं है। और इसके परिणामस्वरूप, आज मध्य पूर्व देशों में भारतीय समूह का काफी योगदान है। अभी यह देखना बाकी है कि यह प्रक्रिया कैसे चलती है। मैं यह कहने की अनुमति चाहता हूं कि इस प्रक्रिया में जो भी हो, किन्तु इसमें भारत एक उपयोगी भूमिका निभाने वाला है और शायद, इस प्रक्रिया में योगदान देकर किसी अन्य देश की तुलना में अधिक परिणाम प्राप्त करेगा। अतः यह इज़राइल के बारे में है। इज़राइल के साथ अन्य द्विपक्षीय सम्बन्धों की मुझे जानकारी नहीं है कि क्या इतना किया गया है किन्तु वह केवल कुछ समय की बात है और वक्त आने पर हम उन मुद्दों को उठाएंगे...(व्यवधान)...महोदय, अब उस विषय के बारे में जिसने पिछले दो या तीन दिनों में भावनाओं को बहुत भड़काया है, मैं सदन को इस बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। महोदय, आपको याद होगा कि 2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने निम्न आश्वासन दिए थे:

(1) इस मुद्दे का निबटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे।

(2) अन्तिम हल निकाल लिए जाने तक, उत्तर प्रदेश की सरकार राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(3) भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं सम्बन्धी न्यायालय के आदेशों को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा।

(4) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े मामलों में इसके निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

ये चार आश्वासन दिए गए थे। इनके बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद के सभी सदस्य तथा सारा विश्व जानता है। यह 2 नवम्बर को किया गया था। स्पष्टतया, पहले दिए गए आश्वासन, अर्थात्, "इस मुद्दे का निबटारा करने हेतु एक सौहार्दपूर्ण हल निकालने के सभी प्रयास किए जाएंगे" के बारे में प्रयास आरम्भ किए जाने चाहिए थे। पहले आश्वासन संबंधी काम को खत्म करने का तो एक ओर हमारे पास इसे आरम्भ करने का भी समय नहीं

था और दिसम्बर में ही, कुछ ऐसी घटनाएँ हो गई थीं जो राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के ढांचे की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती थी।

3.00 मध्य०

जिस सड़क सुरक्षासमिति, लोहे के पाईप से मोर्चा बन्दी, रोल्स, कंटीले तार इत्यादि से ढांचे की सुरक्षा की गई थी, उन्हें हटा दिया गया है और शायद इसमें ढांचे की सुरक्षा व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। हर व्यक्ति यही मानता है।

फरवरी, 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्म भूमि, बाबरी मस्जिद के आसपास के काफी बड़े क्षेत्र, जिसमें अक्तूबर, 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि भी शामिल है, के चारों ओर एक दीवार का निर्माण आरम्भ कर दिया था। दीवार के निर्माण के आरम्भ होने के पश्चात्, केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे के आसपास की भूमि, विशेषतया अक्तूबर 1991 में अधिगृहीत की गई भूमि तथा निर्माणाधीन दीवार के भीतर आने वाले क्षेत्र, क्योंकि यह अधिग्रहण कतिपय सार्वजनिक उद्देश्यों के अध्यधीन था— के सम्बन्ध में विकास योजनाएँ दर्शाने का आग्रह किया था। इन योजनाओं के विवरण सम्बन्धी कोई जवाब राज्य सरकार से आज तक प्राप्त नहीं हुआ है।

मार्च 1992 में, राज्य सरकार ने राम जन्म भूमि कॉम्प्लैक्स के आसपास की लगभग 42 एकड़ भूमि, 'राम जन्म भूमि न्यास' को न्यास की धनराशि की सहायता से राम कथा पार्क परियोजना को लागू करने के लिए पट्टे पर दी थी। पुनः मार्च 1992 में, राज्य प्राधिकारियों ने राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद कॉम्प्लैक्स में अतिरिक्त ढांचों जैसे संकट मोचन मन्दिर, साक्षी गोपाल मन्दिर का एक बड़ा हिस्सा, सुमित्रा भवन, लोमीस आश्रम, गोपाल भवन तथा दुकानों को ढहाना आरम्भ किया। इस के साथ-साथ व्यापक खुदाई, तथा भूमि को समतल करने के कार्य भी आरम्भ हुए। मैं यह विवरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि 9 नवम्बर को मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के परिणामस्वरूप जो एक सुरक्षा का वातावरण बना था वह हिल गया। भूमि समतल करने तथा खुदाई कार्यों से लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है और राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की मजबूती तथा सुरक्षा पर इनसे पड़ने वाले सम्भावित प्रभाव से चिन्ता उत्पन्न हो गई है। ऐसा भय भी व्यक्त किया गया है कि वर्षा के मौसम में खुदी हुई भूमि पर पानी के इकट्ठा होने पर वह ढांचे की नींव तक रिस कर उसे कमजोर कर सकता है।

केन्द्र सरकार ने (कई अवसरों पर, यह विचार व्यक्त किया है कि राम जन्म भूमि विवाद का हल वार्ता के द्वारा ढूंढा जाना चाहिए) फिर भी यदि, इस प्रकार से कोई हल नहीं निकलता तो सरकार न्यायालय के निर्णय द्वारा हल निकलने के पक्ष में है।

केवल दो दिन पहले, 15 जुलाई को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह आदेश पारित किया है कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण निषिद्ध है। अब, बार-बार गृह मंत्री को संसद में तथा उसके बाहर तंग किया जा रहा है कि जब आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है तो वे क्या कर रहे हैं और इसे लागू क्यों नहीं किया गया है। अब गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इस सदन को नवीनतम सूचना दी है कि सम्बद्ध अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। इस समय में यही कह सकता हूं कि मुझे आदेशों के पालन की वास्तविक रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अभी-अभी जब मैं यहां आया तो मुझे एक बड़ी रोचक जानकारी मिली कि इन आदेशों को फैक्स द्वारा भेजा जाना था, किन्तु अचानक, लखनऊ व फैजाबाद के मध्य की फैक्स मशीन खराब हो गई है। (व्यवधान) यह सम्भव है। कुछ भी खराब हो सकता है। किन्तु, बाद में, अवश्य, एक

उपचारात्मक कदम के रूप में, एक विशेष संदेश वाहक की फैक्सबाद भेजा गया है। अर्थात् अब मनुष्य मशीन ने फैक्स मशीन का स्थान ले लिया है।

पिछले सत्र में जो कुछ कहा गया है अब मैं उसके बारे में कहूंगा। अब मैं कुछ शब्द पिछले सत्र में समय बर्बाद किए जाने के बारे में कहना चाहता हूं जिसके बारे में कई बातें कही गई हैं। मैं इसे बहुत विकट तो नहीं मानता किन्तु फिर भी मुझे इसकी सूचना देनी है।

महोदय, जब मैं इस सदन में बोफोर्स मामले पर बोला था तो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि पूरी मेहनत से जांच की जायेगी और सच को बेपर्दा करने के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आने दी जायेगी। इस मामले की जांच के लिए स्विस प्राधिकारियों को तैयार करने के लिए सभी कदम उठाए गए थे। 12 जून 1992 को जिनेवा में कैन्टोनल न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की थी। न्यायालय के निर्णय को रिज़र्व रखा था। सुनवाई के पश्चात् न्यायालय छुट्टी के लिए बन्द हो गया है। अतः अब हम उस निर्णय की अपेक्षा अगस्त में कर सकते हैं जब छुट्टी समाप्त होगी। जब तक हमें न्यायालय से कोई अनुकूल निर्णय नहीं मिलता और जब तक हमें घूस लेने वाले व्यक्तियों के नाम प्राप्त नहीं हो जाते, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए और आगे जांच करना सम्भव नहीं है। इस समय यहां यही स्थिति है।

यदि मैं गलती पर नहीं हूं तो 25 तारीख से दिल्ली के उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई होगी और मुझे बताया गया है कि शुद्धि के अध्यधीन, यह जारी रहेगी और प्रतिदिन के आधार पर होगी। यदि ऐसा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय शीघ्र ही देगा।

महोदय,... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा): वकील कौन है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मेरे पास उससे सम्बन्धित तीन समाचार पत्र हैं। मैंने उनमें से केवल एक ही पढ़ा है।

महोदय, 10-7-92 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में बोफोर्स कमीशन के बारे में छपे एक समाचार की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे समाचार में उठाए गए मुद्दों को साबित किया जा सके। चूंकि जेनेवा में होने वाले कैन्टोनल न्यायालय की कार्यवाही में केन्द्रीय जांच ब्यूरो शामिल नहीं है अतः समाचार पत्र में स्विस प्राधिकारियों द्वारा जिस खाते के सील किए जाने का जिक्र है, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऐसी सम्भावना है कि जेनेवा का कैन्टोनल न्यायालय अगले माह तक अपना निर्णय दे देगा और यदि दस्तावेज़ उपलब्ध करा दिए जाएं तो सम्भावित कमीशन-प्राप्तकर्त्ताओं के बारे में और जांच कराई जायेगी। इस समय समाचार में छपी जानकारी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। किन्तु जेनेवा कैन्टोनल न्यायालय की कार्रवाई के परिणाम के आधार पर ही और आगे कार्यवाही की जायेगी।

महोदय, अब श्री सोलंकी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैंने पहले ही बताया है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के सुझाव के अनुसार, ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जेनेवा में किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए कोई जांच कराएगा। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच श्री सोलंकी से आरम्भ होती है और उन्हीं पर समाप्त होती है। वे श्री सोलंकी के पास गए थे, उन्होंने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा था कि वे उस व्यक्ति को पहचानने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति है....(व्यवधान)

डा० सुधीर राय (बर्दवान): मेरे विचार में श्री सोलंकी स्वयं को पहचान सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० वी० नरसिंह राव: महोदय, यह स्थिति है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उन्होंने स्विस मन्त्री को दिए गए पत्र का सार कैसे दिया था?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: यह किसी व्यक्ति द्वारा पत्र देने का प्रश्न है न कि सार देने का प्रश्न है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: जब श्री सोलंकी को पत्र की मुख्य बातों की जानकारी नहीं थी, तो उनके पास पत्र का सार कैसे था? **(व्यवधान)**

श्री पी० वी० नरसिंह राव: आज भी यहां आने से पहले, मैंने पुनः सोलंकी जी से बात की थी, यदि अब भी, वे कुछ याद करने की स्थिति में हैं जिससे...**(व्यवधान)** महोदय, संसद की ओर से, मैंने उन्हें समझाया था... **(व्यवधान)** सभी माननीय सदस्यों की ओर से, आप सब की ओर से, मैंने उनसे आग्रह किया था—कि यदि वे कुछ भी याद कर सकें जिससे हमें कोई सुराग मिल जाये, उन्होंने कहा था कि कुछ याद करना उनके लिए सम्भव ही नहीं है। अतः मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता हूं।

महोदय, मेरे विचार में, आज तक इस सदन में जितने भी विषय उठे हैं, मैंने उन सभी से निबटा है यदि ऐसा कुछ है जिस के बारे में और अधिक विवरण चाहिए अथवा किसी प्रश्न का जवाब चाहिए, तो मैं वह देने को तैयार हूं। किन्तु एक बात है कि हम अनावश्यक बातें नहीं करेंगे, अन्य मंत्री बोल चुके हैं और मेरे विचार में चर्चा काफी व्यापक रही है।

एक माननीय सदस्य: घोटाले के बारे में क्या कहेंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: महोदय, मेरे विचार में, वित्त मंत्री ने घोटाले के बारे में जवाब दे दिया है। अब यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: क्या अपोजिशन से जे पी सी का चेयरमैन बनाएंगे?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: ऐसी बेअदबी मत कीजिए, मुझे मत पूछिए यह आपके हाथ में है।

[अनुवाद]

इतने लोग एक साथ बोल रहे हैं इसलिए मैं सुनने में असमर्थ हूं। मैं सब कुछ बताना चाहता हूं, आरम्भ से, जिस क्षण से हमें सरकार को इसकी जानकारी हुई उसी क्षण से, कदम उठाए गए है जिससे यह मामला संयुक्त संसदीय समिति के पास पहुंच गया है। और संयुक्त संसदीय समिति इस विषय की ओर अधिक जांच करने में समर्थ है...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री ने सोलंकी के बारे में या एकाउंट्स के बारे में कहा, मैं उस पर अभी कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वह सवाल-जवाब का मामला हो जाएगा। वह अलग बहस का विषय बनेगा और बना रहेगा लेकिन मैं प्रधान मंत्री जी सी बी आई की पूरी जिम्मेदारी आपके हाथ में रखता हूं। जस्टिस वरियावा ने कल लिखित आदेश दिया है कि सी बी आई जो जांच करवा रही है—बैंक और स्टाक के स्केम में, वे असली जो गुनाहगार हैं उन लोगों को बचा रही है और स्केपगोट्स को आगे ला रही है और बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने इस लिखित मसले को लेकर के किया है। 30 हजार करोड़ रु० की इतनी बड़ी रकम होती है इस पर प्रधान मंत्री जी ने अभी विश्लेषण किया, प्रधान मंत्री जी केवल बैंक के इस स्केम में ब्याज की जो लूट हुई है वह 40 हजार करोड़ रुपए है और पिछले 12-14 महीने

से आप 30 हजार करोड़ रु० की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब अदालत का स्पेशल कोर्ट आपने बिठाया है उसका जज और अकेला जब वह यह बात को कहता है, प्रधान मंत्री जी क्या आप सी बी आई को और संबंधित तमाम लोगों को तत्काल आदेश देंगे कि जज ने जो यह सवाल छेड़ा है इसका स्पष्ट जवाब उनके पास जाएगा?

श्री पी० वी० नरसिंह राव: मैं तत्काल दूंगा। माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसको पूरी तरह से नोट करता हूं और उस पर जो भी तत्काल उनको आदेश या उनसे कहना हो, जरूर कहा जाएगा।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मंत्रिमंडल के एक मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया है। हम घोटाले के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री से कुछ जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई० अहमद, कृपया आप अपनी जगह पर बैठें।

श्री ई० अहमद (मंजेरी): मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। हमें यह बात समझनी है कि गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यवाही 3.30 म० प० आरम्भ होनी है। और उम्मीद है कि प्रस्ताव पेशकर्ता जवाब देंगे, और समय मात्र 15 मिनट है। उसी समय के भीतर हमें इसे पूरा करना होगा।

अतः, कृपया श्री जसवन्त सिंह को अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये।

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, कम से कम इस असाधारण चर्चा के जवाब के आरम्भ में मैं माननीय प्रधान मंत्री का अनुसरण करूंगा जिन्होंने सभी बीच में बोलने वाले तथा इस चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद किया। मैं भी, उसी प्रकार माननीय प्रधान मंत्री का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने चर्चा में हस्तक्षेप करके इतनी उदारता के साथ हम सब को धन्यवाद दिया। यह एक असाधारण चर्चा रही, यद्यपि माननीय प्रधान मंत्री ने इसे फलरहित माना है।

मुझे याद नहीं पड़ता कि पहले कब किसी अविश्वास-प्रस्ताव पर तीन दिन तक चर्चा चली है। मैं प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के तरीके की बात नहीं करूंगा। हम तत्व की खोज में हैं और तत्व की खोज करते-करते, उनकी आयु तथा अनुभव के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं अवश्य अपनी निराशा व्यक्त करना चाहता हूं। हम नेतृत्व की खोज में थे, हम दिशा की खोज में थे; हम सरकार में उस तत्व की खोज कर रहे थे जिसकी अनुपस्थिति ने हमें अविश्वास प्रस्ताव पेश करने पर मजबूर किया। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से और इस प्रस्ताव को पेश करने वाले के रूप में बड़े दुख की बात है कि मैं वह नेतृत्व, वह प्रेरणा और वह तत्व नहीं ढूंढ सका, जो हमने सोचा था कि उनके जवाब में होगा।

इस चर्चा में उनके मन्त्रिमंडल के कई योग्य साथियों ने अन्तरक्षेप किया। कई घण्टे की गहमागहमी तथा बहस हुई । माननीय प्रधान मंत्री के मन्त्रिपरिषद के माननीय साथियों के हस्तक्षेप से मेरे सामने तीन मुख्य बातें आई। सबसे पहली बात से मैं वास्तविक रूप से हैरान-परेशान हूं।

माननीय प्रधान मंत्री ने बड़ी उदारता से कहा है कि वे अभी भी विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उनके योग्य साथी, इस चर्चा में सबसे पहले वक्ता, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ने कहा था कि अच्छा चुटकला हुआ है और वास्तव में, कहा था कि वे विपक्ष से किसी सहयोग की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं; जब माननीय वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया तो वे बोले, कि वे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं; जब माननीय कृषि